ईपीसीजी योजना

ईपीसीजी योजना Foreign Trade Policy 2015-2020 के अध्याय 4 में आती है है। इस योजना का उद्देश्य निर्यातक द्वारा Capital Goods बिना ड्यूटी चुकाय आयात की सुविधा और भारत की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है।

निर्यात की बाध्यता (Export Obligation)

EPCG Scheme में कैपिटल गुड्स के इम्पोर्ट में जितनी ड्यूटी, टैक्स और सेस बचता है उसका 6 गुना एक्सपोर्ट 6 वर्ष में करना आवश्यक है। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरी करने के लिए निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी आवशयक है:-

एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को पूरा करने में एक शर्त यह भी है कि authorisation holder को पिछले तीन वर्षों के एक्सपोर्ट का औसत एक्सपोर्ट भी हर वर्ष करना होगा। इसके इसके ऊपर का निर्यात ही export obligation में गिना जाएगा। इसके पीछे तर्क यह है कि इतना निर्यात तो निर्यातक ईपीसीजी में मशीन लाने से पहले भी कर रहा था इस मशीन केआने से एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए।

Advance license, DFIA, Duty Drawback, MEIS और SEIS जैसी योजनाओं के तहत किया गया निर्यात भी EPCG योजना के तहत export obligation में गिना जाएगा।

Installation certificate

EPCG License जारी करने की तारीख से 18 महीने के लिए आयात के लिए मान्य होगा। Authorisation Holder को आयात के पूरा होने की तारीख से 6 महीने के भीतर installation Certificate संबंधित Regional Authority को देना होता है जो ये इस बात की पुष्टि करे की कैपिटल गुड्स कारखाने / परिसर में स्थापित हो गया है। यह Installation Certificate वह उसके jurisdictional Custom authority या फिर किसी चार्टर्ड इंजीनियर से ले सकता है।

EPCG स्कीम में आये बदलाव

केंद्रीय सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के संबंध में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं, यह बदलाव Notification no. 57 / 2015-2020 दिनांक 31 मार्च, 2020 और Public Notice 67 / 2015-2020 दिनांक 31.03.2020 से किए गए हैं और वे इस प्रकार है : -

जीएसटी से पहले ईपीसीजी में आयात की गई मशीन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी, CVD और SAD से छूट मिलती थी। पर 1.7. 2017 से जीएसटी आने पर सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी से ही छूट मिलती थी पर आईजीएसटी और cess लगता था। बाद में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 79/ 2017-Cus. Dated 29.06.2017 से जीएसटी और cess से भी छूट दे दी।पर यह छूट 31.3.2020 तक ही थी। यह छूट भी खत्म होने वाली थी जिसे लेकर एक्सपोर्ट कम्युनिटी बहुत संशय में थी तथा इसको बढ़ाने के लिए खूब सारे प्रतिवेदन सरकार को दिए गए थे। सरकार ने निर्यातकों की मांग मानते हुए Physical Export के लिए EPCG योजना के तहत आयात किए गए Capital Goods को IGST और Compensation Cess से 31.03.2021 तक छूट बढ़ा दी।

इसके साथ ही जहां Installation certificate या Export Obligation अवधि की वैधता 01.02.2020 से 31.07.2020 के दौरान समाप्त हो जाती है, वो स्वयं ही 6 महीने तक बढ़ जाएगी।